

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक : प.8(13)राज/वाद/17

जयपुर, दिनांक 2-6-2024

समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक
अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक
अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, अलवर, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा,
बाड़मेर, बालोतरा, बारां, बूंदी, भरतपुर

विषय :- नए आपराधिक कानूनों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिलाने बाबत।

सन्दर्भ :- समसंख्यक पत्र दिनांक 28.05.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशक केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 13.05.2024 के क्रम में नये आपराधिक कानूनों के संबंध में दिनांक 08.06.2024 से दिनांक 09.06.2024 तक केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI) मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास अजमेर रोड जयपुर में प्रशिक्षण दिलाने हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों की पालना में द्वितीय चरण में पत्र दिनांक 28.05.2024 के क्रम संख्या 1 से 76 में वर्णित लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/ अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकगण को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु मनोनीत करते हुए निर्देशित किया गया था।

निर्देशानुसार अपरिहार्य कारणों से उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है एवं नई तिथि से समुचित समय पर सूचित किया जाएगा।

(महेश पुनेठा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित न्यायालय।
3. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(महेश पुनेठा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

RajKaj Ref
7704111



Signature valid

Digitally signed by Mahesh Punetha
Designation: Special Secretary
Date: 2024.06.02 17:16:32 IST
Reason: Approved